



उ.क्र. 70/8-12/11-12

18



// न्यायालय श्रीमान अपर जिलाधीश महोदय, जिला राजगढ़ म.प्र. //

प्र. क्रं. R-3246-I/12

बाबूलाल जायसवाल पिता जगन्नाथजी जायसवाल  
निवासी ग्राम सण्डावता तहसील सारंगपुर जिला  
राजगढ़ म.प्र. - - - - - प्रार्थी/वादी,

बनाम

- 1/- सचिन पिता कैलाशचन्द्र महाजन,
- 2/- मनीष पिता कैलाशचन्द्र महाजन दोनों  
निवासी ग्राम सण्डावता तहसील सारंगपुर जिला  
राजगढ़ म.प्र. ।
- 3/- म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक महोदय,  
वृत्त-३ सण्डावता ।
- 4/- म.प्र. शासन द्वारा हल्का पटवारी हल्का नं. 6,  
ग्राम सण्डावता तहसील सारंगपुर म.प्र. ।

-----विपक्षीय

// निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.संहिता//

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, द्वारा  
सीमांकन प्रकरण क्रमांक 4-अ-12/11-12 में दिये गये  
अन्तिम आदेश दिनांक 3.3.2012 व सीमांकन प्रतिवेद  
राजस्व निरीक्षक द्वारा दिया गया दिनांक 1.3.01।  
से असंतुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन सीमांकन के  
सम्बन्ध विचारार्थ एवं निराकरण हेतु पेश है ।

R-11  
19/3/12

99  
10/5/2012

20 9/12

राजस्व/अचिन

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

21

प्रकरण क्रमांक. R/3246/I/12.. जिला रायगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/9/18	<p>आवेदक डा. वि. श्री मेहरवान सिंह का                      कता. का पुनः सूचना दी जाये                      रिकार्ड पूर्ण प्रकटा करके हेतु।                      C. नं. 9/10/18</p>	<p>9/10                      n</p>
<p>9/10/18                      मायाय-</p>	<p>आवेदक का रिकार्ड श्री- मेहरवान सिंह                      उपस्थित/ उपस्थित प्रकटा करके आगे                      नहीं चलाया है अतः अनुरोध किया                      गया जाता है प्रकटा आवेदन                      चलाये के कारण प्रकटा इतनी सी-                      एल समाप्त किया जाता है।</p>	<p>not press                      n</p>